उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण की 51वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 08.07.2016 का कार्यवृत्त एवं निर्णय

उपस्थिति

1	श्री टी0 वेंकटेश आई0ए0एस0	आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ/अध्यक्ष, उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण।	अध्यक्ष
2	श्रीमती सौम्या अग्रवाल आई0ए0एस0	जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण, उन्नाव।	उपाध्यक्ष
3	श्री मदन राजा मौर्या	संयुक्त निदेशक कोषागार, लखनऊ मण्डल लखनऊ।	सदस्य
4	श्री सुब्रत कुमार	सहायक निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0 प्र0, विनीत खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	सदस्य
5	श्री आर0 के0 सिंह	अपर आयुक्त उधोग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।	सदस्य
6	श्री शेर सिंह	सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।	सदस्य
7	श्री एस0 के0 सिंह	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, उन्नाव, प्रतिनिधि, प्रबंध निदेशक, जल निगम, उ0 प्र0।	सदस्य
8	श्री जे0 पी0 कौशल	अधिशासी अभियन्ता, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन उन्नाव।	सदस्य
9	श्री टी0 बी0 सिंह	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, उन्नाव प्रतिनिधि मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।	सदस्य
10	श्री राम चन्द्र गुप्ता	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, उन्नाव	सदस्य
11	श्री रजनीश राठौर	नामित सदस्य	सदस्य

बैठक हेतु कोरम पूर्ण है। मुख्य विकास अधिकारी/ सचिव, उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण, श्री संजीव सिंह द्वारा आयुक्त/अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यो का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

<u>बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत एजेण्डा के विभिन्न मदों पर कार्यवाही एवं निर्णय निम्नानुसार है</u> :-

मद संख्या 51.01 विगत 50वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 26.06.2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि

प्रस्ताव पर सभी सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से विगत 50वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 26.06.2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

मद संख्या 51.02 विगत 50वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 26.06.2015 की कार्यवाही की अनुपालन आख्या

प्राधिकरण की विगत 50वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 26.06.2015 मे लिये गये निर्णयो/निर्देशो के क्रम में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया एवं निम्न बिन्दु पर निर्देश दिये गये :-

<u>मद सं0 50.04</u>

उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र सीमा विस्तार के सम्बन्ध में

प्राधिकरण की विगत 50वीं बोर्ड बैठक के मद सं0 50.04 पर उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण का क्षेत्र विस्तार करने तथा महायोजना 2031 शीध्र तैयार किये जाने पर विशेष जोर दिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि महायोजना तैयार किये जाने में काफी विलम्ब हो रहा है विगत बैठक के अन्तराल में काफी समय व्यतीत होने के उपरान्त भी कोई सार्थक प्रगति नही हुई है। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये कि महायोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक माह में समीक्षा कर, प्रगति से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराने एवं उक्त कार्य को समयबद्ध रूप से तीन माह के अन्दर पूर्ण किया जाये।

इसके अतिरिक्त अनुपालन आख्या के समस्त बिन्दुओ पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 51.03 वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट का अनुमोदन

बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु प्रस्तुत बजट पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2016-17 हेतु कुल

आय ₹ **2435.00 लाख** एवं **कुल व्यय ₹ 2131.00 लाख** के प्रस्तावित बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बोर्ड द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाये जाने, नयी कार्यशैली (Modernized) पर कार्य किये जाने तथा जनता के हित में कम्प्यूट्रीकृत कार्यशैली पर कार्य किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या 51.04 **प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की परियोजनाओं हेतु भू-स्वामियों से भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

उ0 प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 385/8-3-16-309विविध/15 दिनॉक 21 मार्च 2016 के द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास प्राधिकरण, परिषद् की परियोजनाओं हेतु भू-स्वामियों से भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने वाले शासनादेश को बोर्ड द्वारा यथावत् अंगीकृत किया गया।

मद संख्या 51.05 **भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथासंशोधित 2011) में संशोधन 2016 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

विशेष सचिव, आवास एवं शहर नियोजन अनुभाग-3 के पत्र सं0 462/8-3-16-34विविध/2008 दिनॉक 17 जून 2016 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथासंशोधित 2011) में संशोधन 2016 का प्रारूप शासन द्वारा विकास प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-57 के अन्तर्गत उपविधि पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया हैं। प्राधिकरण बोर्ड से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथासंशोधित 2011) में संशोधन 2016 के प्रारूप को बोर्ड द्वारा

यथावत् अंगीकृत किया गया।

साइकिल ट्रैक का निर्माण शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशो के आधार पर किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या 51.06 बेनहर एजूकेशन सोसाइटी द्वारा अब्बासपुर बाहर नगर पालिका तहसील उन्नाव में भूमि सं0 372 के भू उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि जोनिंग रेगुलेशन के आलोक में प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है। किन्तु प्रस्तुत एजेण्डा में इस बिन्दु के विषय वस्तु में भू-उपयोग परिवर्तन का शब्द अंकित किया गया है, जो उपयुक्त नही है। जिससे प्रतीत होता है कि प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाना होगा। स्कूल से सम्बन्धित विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। निर्देशित किया गया कि इस प्रकार के लम्बित अन्य सभी प्रकरणो को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देशन में पुनः परीक्षण करते हुये, प्रकरण के स्वीकृति का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड में निहित है, की स्पष्ट संस्तुति के साथ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष परिचालन के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

मद संख्या 51.07 अधिसंख्य पद पर नियुक्त/विनियमित मृतक कर्मचारियों के आश्रितो को सेवायोजित किये जाने हेतु ''उत्तर प्रदेश सेवाकाल के मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित)'' को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त संदर्भित नियमावली के अर्न्तगत जो शासनादेश प्रचलित है उन्हे विस्तृत विवरण सहित अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या 51.08 अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देश

(1) नियमानुसार प्राधिकरण की वर्ष में 04 बोर्ड बैठक कराये जाने के निर्देश दिये गये साथ शीघ्र 3-4 माह के अन्दर पुनः बोर्ड बैठक आहूत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसमें लम्बित प्रकरणो को बोर्ड के समक्ष

प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

(2) इनकम टैक्स विभाग, नगर निगम की भॉति प्राधिकरण को Online किये जाने के निर्देश दिये गये।

(3) प्राधिकरण कार्यालय को Modernized किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

(4) सहायक निदेशक, पर्यावरण निदेशालय द्वारा समय-समय पर पर्यावरण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशो के अनुसार कार्य किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त शासनादेश सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करते हुये तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

अन्त में आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(संजीव सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी/सचिव
उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण,
उन्नाव

(सौम्या अग्रवाल)
जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष
उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण,
उन्नाव

अनुमोदित

(टी0 वेंकटेश)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष
उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण,
उन्नाव